[2018] 12 एस.सी.आर. 642

राष्ट्रीय बीमा विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्त/
सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ एवं ए.एन.आर.

बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एएनआर.
(सिविल अपील संख्या 10775 2018)
अक्टूबर 26,2018
[कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल, जे.जे.]

सेवा कानून - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - प्रतिवादी बीमा कंपनियों के अपीलकर्ता-पूर्व कर्मचारी सामान्य बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2004 (एसवीआरएस-2004 योजना) का लाभ उठाकर सेवा से बाहर हो गए - अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे भी दावा करने के हकदार थे सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1993 के नाम से जानी जाने वाली पिछली योजना के तहत लाभ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान था कि 1995 योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा को कुछ शर्तों के अधीन, 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक नहीं बढ़ाया जाएगा - माना गया: एसवीआरएस-2004 योजना ने विशेष रूप से एसवीआरएस-2004 योजना के तहत सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की मात्रा और पेंशन की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से 1995 योजना की अतिरिक्त 5 साल की सेवा के लाभ को बाहर रखा है - एसवीआरएस योजना एक योजना के अंतर्गत. सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के 17-ए, योजना से शर्तों को जोड़ना या घटाना उचित नहीं था, जिसमें वैधानिक स्वाद है - इस प्रकार, एसवीआरएस-2004 योजना जैसी वैधानिक या संविदात्मक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं हैं इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, और ऐसी योजनाओं का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, यदि अन्य योजनाओं के कुछ हिस्सों को ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में आयात करने की मांग की जाती है - सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 - धारा 17-ए।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समग्र पैकेज के हिस्से के रूप में सामान्य बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2004 (एसवीआरएस-

2004 योजना) के खंड 6 (सी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि का काल्पनिक लाभ सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के पैरा 30 में निर्धारित पांच (5) वर्षों की अतिरिक्त सेवा, ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन की मात्रा निर्धारित करने और पेंशन के रूपान्तरण के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जिन्होंने इसके तहत सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया था। एसवीआरएस-2004 योजना। यह कहना पर्याप्त है कि एसवीआरएस-2004 योजना ने 1995 की योजना से परे अतिरिक्त लाभ प्रदान किए, साथ ही साथ इस पूर्वोक्त पहलू को विशेष रूप से कम कर दिया। इस स्पष्ट शर्त के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तावित अन्य लाभों के अलावा, एसवीआरएस-2004 योजना के तहत अपनी पेंशन की गणना के लिए सेवा के इन पांच (5) अतिरिक्त अनुमानित वर्षों का लाभ मांगा। इस मांग को प्रतिवादी बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया था। [पैरा 6]

2. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एसवीआरएस-2004 योजना के तहत लाभार्थी, जिसमें विशेष रूप से 1995 योजना की अतिरिक्त पांच (5) वर्षों की सेवा का लाभ शामिल नहीं है, स्पष्ट शर्तों के विपरीत अभी भी उक्त राशि का दावा करने के हकदार होंगे . इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है. इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि एसवीआरएस-2004 योजना सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-ए के तहत एक योजना होने के कारण वैधानिक है। योजना में शर्तों को जोड़ना या घटाना उचित नहीं होगा। जिसका वैधानिक स्वाद है. योजना की शर्तों के विपरीत कोई रियायत नहीं दी जा सकती थी, और यदि ऐसी रियायत सेवानिवृत्त लोगों के लाभ के लिए सुनिश्चित की जानी थी, तो इसे औपचारिक अधिसूचना की प्रक्रिया से गुजरना होगा। [पैरा 14,15]

3. वैधानिक या संविदात्मक, एसवीआरएस-2004 योजना जैसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और यदि अन्य योजनाओं के कुछ हिस्सों को इसमें आयात करने की मांग की जाती है, तो ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएँ. नियोक्ता द्वारा जो पेशकश की जाती है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजनाओं में निहित एक पैकेज है, और केवल वही स्वीकार्य होगा। [पैरा 20]

4. इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि योजना में जो कहा गया है उससे अधिक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और इस मामले में, कुछ भी कम नहीं। यदि कर्मचारी खुली आंखों से ऐसी योजना का लाभ उठाते हैं, तो वे विभिन्न योजनाओं के तहत इधर-उधर नहीं देख सकते हैं कि अधिक लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने की

चाह में उन्हें और क्या लाभ मिल सकते हैं। साथ ही एसवीआरएस-2004 योजना के अधिक लाभकारी पहलुओं का आनंद ले रहे हैं। [पैरा 23]

मनोजभाई एन. शाह एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। **(2015) 4 एससीसी 482**; *महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास बी श्रीनिवास नायक एवं अन्य।* **(1982) 2 एससीसी 463 : [1983] 1 एससीआर 8;** *वाई. स्लीबाचेन एवं अन्य। अधीक्षण अभियंता जल संसाधन संगठन/लोक निर्माण विभाग एवं अन्य के माध्यम से तमिलनाडु राज्य।* **(2015) 5 एससीसी 747**; *त्रिपुरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं अन्य। कर आयुक्त एवं अन्य।* **(1998) 2 एससीसी 264**; *न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग एवं अन्य।* **(2010) 5 एससीसी 335 : [2010] 4 एससीआर 299**; *बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य। वी. ओ. पी. स्वर्णकार एवं अन्य।* **(2003) 2 एससीसी 721 : [2002] 5 पूरक। एससीआर 438**; *एचईसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण सोसायटी और डी एनआर। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य।* **(2006) 3 एससीसी 708 : [2006] 2 एससीआर 678 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

(2015) 4 एससीसी 482	**पैरा 7 में संदर्भित**
[1983] 1 एससीआर 8	**पैरा 16 को संदर्भित करता है**
(2015) 5 एससीसी 747	**पैरा 17 को संदर्भित किया गया**
(1998) 2 एससीसी 264	**पैरा 18 को संदर्भित करता है**
[2010] 4 एससीआर 299	**पैरा 18 को संदर्भित करता है**
[2002] 5 पूरक। एससीआर 438	**पैरा 19 को संदर्भित करता है**
[2006] 2 एससीआर 678	**पैरा 19 को संदर्भित करता है**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10775 0एफ 2018

डब्ल्यूए एमडी में मद्रास, मदुरै बेंच के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.07.2017 से 2016 का नंबर 1228 जी.

साथ

2018 की सिविल अपील संख्या 10776, 10777, 10778।

श्री गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, अभिनव गोयल, अधिवक्ता। अपीलकर्ताओं के लिए.

राकेश द्विवेदी, जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक किशोर, श्रीमती राज्य लक्ष्मी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

संजय किशन कौल, जे.

1.अनुमति स्वीकृत.

2. अपीलकर्ता प्रतिवादी बीमा कंपनियों के पूर्व कर्मचारी हैं, जो शुरुआत में 1972 से 1980 के बीच सहायक के रूप में शामिल हुए, और सामान्य बीमा कर्मचारी विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, 2004 (संक्षेप में "एसवीआरएस-) का लाभ लेते हुए सेवा से बाहर हो गए। 2004 योजना")। विवाद की जड़ इन अपीलकर्ताओं की दलील है, कि वे सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 (संक्षेप में "1995 योजना') के रूप में जानी जाने वाली पिछली योजना के तहत उत्पन्न होने वाले कुछ लाभों के भी हकदार हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान किया गया है उस 1995 योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की अर्हक सेवा में कुछ शर्तों के अधीन पांच (5) वर्ष से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

3. प्रतिवादी बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने की अवधारणा पहली बार 1995 योजना द्वारा पेश की गई थी, जिसे 28.6.1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, लेकिन 1.11.1993 से लागू किया गया था। 1995 की योजना का प्रासंगिक पैरा 30, जो वर्तमान विवाद के लिए चिंता का विषय है, इस प्रकार है:

"**30. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन** -

(1) किसी कर्मचारी द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, वह नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम नब्बे दिन का लिखित नोटिस देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है... ।"

XXX XXXX XXXX XXXX XXXX

"(5) इस पैराग्राफ के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की गुणवत्ता सेवा में पांच साल से अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुल योग्यता सेवा किसी भी

मामले में तैंतीस साल से अधिक नहीं होगी और यह उसे सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाया जाता।"

4. उपरोक्त 1995 योजना में, इस प्रकार, इसके तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पांच (5) वर्ष की सेवा का अतिरिक्त काल्पनिक लाभ की परिकल्पना की गई है, इस सीमा के साथ कि ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई योग्यता सेवा: (i) किसी भी मामले में नहीं होगी , 33 वर्ष से अधिक; और (ii) उन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे नहीं ले जाता।

5. बीमा कंपनियों को अतिरिक्त जनशक्ति का सामना करना पड़ा, और इस प्रकार, जनशक्ति के आकार को कम करने के लिए, एक विशेष योजना, एसवीआर एस-2004 योजना, इसकी तारीख से साठ (60) दिनों की सीमित अवधि के लिए शुरू की गई थी। अधिसूचना, अर्थात् 1.1.2004. यह योजना विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पात्र स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू की गई थी, बशर्ते कि उन्होंने अधिसूचना की तिथि के अनुसार 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और दस (10) वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा पूरी कर ली हो। प्रासंगिक खंड 5 और 6 इस प्रकार हैं:

"5. अनुग्रह राशि:-

(1) इस योजना के तहत विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाला एक कर्मचारी नीचे दी गई अनुग्रह राशि में से कम राशि का हकदार होगा, अर्थात्: सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए साठ दिन का वेतन, या, संख्या के लिए वेतन। शेष सेवा के महीने.

(2) अनुग्रह राशि की गणना कार्यमुक्ति की तिथि पर उसके वेतन के आधार पर की जाएगी। यदि वेतन संशोधन आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना की तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी होता है, तो अनुग्रह राशि के भुगतान के उद्देश्य से संशोधित वेतन का लाभ दिया जाएगा।

6. अन्य लाभ

(1) योजना का चयन करने वाला कर्मचारी पैरा5 में उल्लिखित अनुग्रह राशि के अलावा निम्नलिखित लाभों के लिए भी पात्र होगा, अर्थात्:

(ए) भविष्य निधि;

(बी) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के अनुसार ग्रेच्युटी या युक्तिकरण योजना के तहत देय ग्रेच्युटी, जैसा भी मामला हो;

(सी) यदि पात्र हो तो सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन योजना, 1995 के अनुसार पेंशन (पेंशन के परिवर्तित मूल्य सहित)। हालाँकि, उक्त पेंशन योजना के पैरा 30 में निर्धारित पांच साल की अतिरिक्त सेवा का अतिरिक्त काल्पनिक लाभ पेंशन की मात्रा और पेंशन की निरंतरता के निर्धारण के उद्देश्य से स्वीकार्य नहीं होगा;

(डी) नकदीकरण छोड़ें।

(2) कोई कर्मचारी जो इस योजना का विकल्प चुन रहा है, वह इस योजना की अधिसूचना की तारीख से साठ दिनों की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए अवकाश यात्रा सब्सिडी और छुट्टी के नकदीकरण का हकदार नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

6.इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समग्र पैकेज के हिस्से के रूप में खंड (सी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1995 योजना के पैरा 30 में निर्धारित पांच (5) वर्षों की अतिरिक्त सेवा का अनुमानित लाभ नहीं होगा। एसवीआरएस-2004 योजना के तहत सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन की मात्रा निर्धारित करने और पेंशन के रूपान्तरण के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य। यह कहना पर्याप्त है कि एसवीआरएस-2004 योजना ने 1995 की योजना से परे अतिरिक्त लाभ प्रदान किए, साथ ही साथ इस पूर्वोक्त पहलू को विशेष रूप से कम कर दिया। इस स्पष्ट शर्त के बावजूद, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तावित अन्य लाभों के अलावा, एसवीआरएस-2004 योजना के तहत अपनी पेंशन की गणना के लिए सेवा के इन पांच (5) अतिरिक्त अनुमानित वर्षों का लाभ मांगा। इस मांग को प्रतिवादी बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया था।

7. पार्टियों के बीच इस संबंध की एक पृष्ठभूमि है। पहले के अवसर पर, एसवीआरएस-2004 योजना का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों ने वेतनमान के संशोधन का लाभ उठाने की मांग की थी, जैसा कि दिनांक 21.12.2005 की अधिसूचना के

तहत प्रदान किया गया था, जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव 1.8.2002 से था। इस लाभ से इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एसवीआरएस-2004 योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाया था, वे प्रतिवादी बीमा कंपनी के कर्मचारी नहीं रहे और इस प्रकार, वेतनमान में संशोधन के लाभ के हकदार नहीं थे। पूर्वव्यापी रूप से। निष्कर्ष पर पहुंचने में, एसवीआरएस-2004 योजना के तहत दिए गए लाभों के विभिन्न खंडों पर ध्यान दिया गया, जिसमें यहां ऊपर दिए गए खंड 6(1) के उप-खंड (सी) भी शामिल हैं। हालाँकि, जिस चीज़ का लाभ उठाने की मांग की गई थी वह एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 5 के उप-खंड (2) का था, जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख के अनुसार प्राप्त वेतन के आधार पर अनुग्रह राशि की गणना करने का प्रावधान था, लेकिन साथ ही बशर्ते कि वेतन संशोधन आधिकारिक राजपत्र में एसवीआरएस-2004 योजना की अधिसूचना की तारीख से पहले की तारीख से प्रभावी होने की स्थिति में, अनुग्रह राशि के भुगतान के प्रयोजनों के लिए संशोधित वेतन का लाभ दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने कार्यों को उचित ठहराने के क्रम में, बीमा कंपनी की ओर से एक तर्क पेश करने की मांग की गई थी, कि जनशक्ति में कमी के उद्देश्य के अलावा, कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान दिया गया था जो उन्हें अन्यथा नहीं दिया गया था हकदार थे, और उन्हें पेंशन की अतिरिक्त राशि भी दी गई थी क्योंकि उनके द्वारा सेवा किए गए वर्षों की संख्या में पांच (5) वर्षों की एक अनुमानित अवधि जोड़ दी गई थी (हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह स्पष्ट शर्त के विपरीत है) एसवीआरएस-2004स्कीम)। इस न्यायालय ने बीमा कंपनियों के पक्ष में राय दी, विशेष रूप से यह देखते हुए कि वेतन में पूर्वव्यापी वृद्धि केवल उन कर्मचारियों को दी जाती है जो प्रासंगिक समय पर सेवा में हैं या जो सामान्य परिस्थितियों में सेवानिवृत्त हुए हैं, न कि उन कर्मचारियों को जो इस तरह का विकल्प चुनते हैं। विशेष योजनाएँ, जैसे एसवीआरएस 2004 योजना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पेंशन की गणना के लिए पांच (5) वर्ष अतिरिक्त की दलील को फैसले में देखा गया था, हालांकि, इस पर आगे कोई चर्चा तर्क का हिस्सा नहीं बनी।

8.एसवीआरएस-2004 योजना के लाभार्थियों ने एक याचिका पर दिए गए फैसले की समीक्षा की मांग की कि इस न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया था कि एसवीआरएस-2004 योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पांच (5) साल की अतिरिक्त सेवा का लाभ दिया जाएगा। पेंशन की गणना, जबकि वास्तव में इसे विशेष रूप से बाहर रखा गया था। हालाँकि, ऐसा प्रयास निरर्थक साबित हुआ और समीक्षा आवेदन 7.4.2015 को खारिज कर दिया गया।

9.इससे इस मुद्दे को शांत कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीमा कंपनियों ने अपने विवेक से एक बार फिर उस मुद्दे को उठाने का देर से प्रयास किया, यह दलील देकर कि वे टिप्पणियाँ केवल प्रकृति में अपमानजनक थीं और तथ्यात्मक रूप से योजना के विपरीत थीं। हालाँकि, संशोधन/स्पष्टीकरण के लिए इस आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि समीक्षा में इसे देर से किया गया प्रयास पाया गया था। इसके बाद लाभार्थियों ने एक विविध आवेदन दायर किया जिसे अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया।

10. हमने उपरोक्त विवाद को इसलिए खड़ा किया है क्योंकि हमारे सामने अपीलकर्ताओं की दलील का आधार बनने वाला वास्तविक ठोस आधार यह है कि मनोजभाई एन. शाह और अन्य मामले में फैसले में जो दर्ज किया गया था, वह उनकी ओर से रियायत के बराबर था। बीमा कंपनियों को रियायत देने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध इस आशय का निष्कर्ष निकला कि, बीमा कंपनियाँ 1995 योजना के अनुसार, उन व्यक्तियों को भी अतिरिक्त पाँच (5) वर्ष की सेवा का लाभ देने के लिए बाध्य हैं, जो एसवीआरएस-2004 योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है।

11. उपरोक्त विवाद, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों की मूल रूप से जांच करने के लिए बीमा कंपनियों को एक प्रारंभिक निर्देश के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जांच की गई थी, जब पूर्व को बीमा कंपनियों द्वारा खारिज कर दिया गया था, WP में निर्णय द्वारा (एमडी) संख्या 19431/2015 और संबंधित मामले दिनांक 8.6.2016। इस फैसले में, यह राय दी गई कि मनोजभाई एन. शाह और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर, *अतिरिक्त पांच (5) का यह लाभ एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 6(1)(सी) की स्पष्ट शर्तों के बावजूद, 1995 योजना के अनुसार वर्षों की सेवा स्वीकार्य थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि चूंकि एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 6(1)(सी) ने 1995 योजना के पैरा 30(5) के तहत लाभों को विशेष रूप से बाहर नहीं किया है, इसलिए लाभार्थियों को इससे इनकार करने का कोई कारण नहीं है। एसवीआरएस-2004 योजना के.

12. विद्वान डिवीजन बेंच के समक्ष उपरोक्त निर्णय की आलोचना की गई, जिसने हालांकि, इसके विपरीत राय दी और अपीलकर्ताओं द्वारा डब्ल्यूए (एमडी) नंबर 1228-1231/2016 में दिनांक 17.7.2017 के फैसले के तहत दायर मूल रिट

याचिका को खारिज कर दिया। यह वह निर्णय है जिस पर हमारे सामने हमला किया गया है।

13. हमने कर्मचारियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा की गई भावपूर्ण याचिका और श्री राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा पेश किए गए बचाव की जांच की है।

14. अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा जोर दिए गए पहलुओं में से एक यह था कि वित्तीय प्रभाव बहुत बड़ा नहीं होगा, जैसा कि बीमा कंपनियों द्वारा तर्क दिया गया था, क्योंकि यह 388 रुपये से 1477 रुपये की सीमा में होगा। प्रति लाभार्थी, प्रति माह। हालाँकि, हम पाते हैं कि यह न तो यहाँ होगा और न ही वहाँ होगा, क्योंकि यह राहत देने या अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या एसवीआरएस-2004 योजना के तहत लाभार्थी, जिसमें विशेष रूप से 1995 योजना की अतिरिक्त पांच (5) वर्षों की सेवा का लाभ शामिल नहीं है, स्पष्ट शर्तों के विपरीत अभी भी उक्त राशि का दावा करने के हकदार होंगे। हमारा विचार है कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।

15. इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि एसवीआरएस-2004 योजना का चरित्र वैधानिक है, यह सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17-ए के तहत एक योजना है। इसमें शर्तों को जोड़ना या घटाना उचित नहीं होगा। योजना, जिसका वैधानिक स्वरूप है। योजना की शर्तों के विपरीत कोई रियायत नहीं दी जा सकती थी, और यदि ऐसी रियायत सेवानिवृत्त लोगों के लाभ के लिए सुनिश्चित करनी थी, तो इसे औपचारिक अधिसूचना की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वास्तव में, मनोजभाई एन. शाह एवं अन्य मामले में निर्णय के बाद, दोनों पक्षों ने यह भी समझा कि एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 6(1)(सी) के विपरीत, लाभ प्राप्त करने का वास्तव में कोई सवाल ही नहीं था। यही परिणाम समीक्षा आवेदन, स्पष्टीकरण और संशोधन आवेदन आदि के रूप में सामने आया। लाभार्थियों द्वारा दायर समीक्षा आवेदन की अस्वीकृति से पता चलता है कि फैसले के बाद, खंड 6(1)(सी) को एक बार फिर बेंच के सामने उजागर किया गया था। इसके बावजूद, समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि यह तथ्य अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था कि वेतन संशोधन उन लोगों पर लागू नहीं था जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वयं स्वीकार किया कि इस संबंध में किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में, वे

अवमानना याचिका भी दायर नहीं कर सकते थे और इस प्रकार मुकदमेबाजी का नया दौर शुरू हुआ।

16. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने, हालांकि, महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक और अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का हवाला देकर हमें समझाने की कोशिश की, जहां पैरा 4 में एक सवाल उठा कि इसमें रियायत दी गई है। उच्च न्यायालय, इस न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस करते हुए। यह उस संदर्भ में है कि यह देखा गया कि यह न्यायालय इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि उच्च न्यायालय में क्या हुआ:

> "4...यह बस नहीं किया गया है। सार्वजनिक नीति हमें रोकती है। न्यायिक मर्यादा हमें रोकती है. न्यायिक रिकार्ड के मामले निर्विवाद हैं। वे संदेह के लिए खुले नहीं हैं। जजों को मैदान में नहीं घसीटा जा सकता. "मुकदमेबाजी के खेल में निर्णयों को महज प्रतिवाद के रूप में नहीं माना जा सकता" (सोमसुंदरम चेट्टी बनाम सुब्रमण्यम चेट्टी, एआईआर 1926 पीसी 136 में लॉर्ड एटकिंसन के अनुसार)। हम न्यायाधीशों के फैसले में दर्ज उनके बयान को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि अदालत में क्या हुआ। हम न्यायाधीशों के बयान को बार के बयानों या हलफनामे और अन्य सबूतों से खंडित करने की अनुमति नहीं दे सकते। यदि न्यायाधीश अपने निर्णय में कहते हैं कि उनके समक्ष कुछ किया गया था, कहा गया था या स्वीकार किया गया था, तो वह विषय पर अंतिम शब्द होगा। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ, उसके बारे में अदालत के फैसले में दर्ज किए गए तथ्यात्मक बयान, बताए गए तथ्यों के लिए निर्णायक होते हैं और कोई भी हलफनामे या अन्य सबूतों द्वारा ऐसे बयानों का खंडन नहीं कर सकता है। यदि कोई पक्ष सोचता है कि अदालत में होने वाली घटनाओं को फैसले में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, तो यह उस पक्ष पर निर्भर है, जबकि न्यायाधीशों के दिमाग में मामला अभी भी ताजा है, उन न्यायाधीशों का ध्यान आकर्षित करें जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है तथ्य यह है कि उनके आचरण के संबंध में दिया गया बयान गलती से दिया गया बयान था (मधु सूदन चौधरी बनाम चंद्रबती चौधरीन, एआईआर 1917 पीसी 30 में लॉर्ड बकमास्टर के अनुसार)। रिकॉर्ड को सही करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया तो मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए. निःसंदेह एक पक्ष विरोध कर सकता है और एक अपीलीय अदालत दुर्लभ और उचित मामलों में उसे इस आधार पर रियायत से पीछे हटने की अनुमति दे सकती है कि रियायत कानून की गलत

समझ पर दी गई थी और इससे घोर अन्याय हुआ था; लेकिन, वह फैसले में दर्ज रियायत देने के तथ्य पर सवाल नहीं उठा सकते।

17. उपरोक्त पैराग्राफ, एक बार फिर, **वाई. स्लीबाचेन और अन्य** के अनुमोदन से निकाला गया था। **अधीक्षण अभियंता जल संसाधन संगठन/लोक निर्माण विभाग एवं अन्य** के माध्यम से तमिलनाडु राज्य।"

18. दूसरी ओर, बीमा कंपनियों द्वारा यह प्रचारित किया गया कि कानून के विरुद्ध कोई रियायत नहीं दी जा सकती | त्रिपुरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं अन्य। कर आयुक्त एवं अन्य%] विद्वान वकील ने इस दलील के समर्थन में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रघुवीर सिंह नारंग एवं अन्य का भी हवाला दिया कि यदि ऐसी कोई योजना है जिसका वैधानिक चरित्र है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी विवाद जो योजना के विपरीत अनुमत रूप से उठाया जा सकता है। यहां तक कि गुआ संविदात्मक योजनाओं में भी, यदि किसी ने लाभ उठाया है, तो वह याचिका दायर करने और योजना में निर्धारित सीमा से अधिक लाभ मांगने के लिए खुला नहीं होगा।

19. **बैंक ऑफ इंडिया और अन्य में पहले के फैसले। वी. ओ.पी. स्वर्णकार और अन्य।' और एचईसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण सोसायटी और अन्य। वी. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य**।" स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं से निपटने को आक्षेपित निर्णय में ध्यान में रखा गया है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि ऐसी योजनाओं की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और अनुबंध में बदलाव नहीं किया जा सकता है। हम मैं यहां जोड़ सकता हूं कि स्पष्ट रूप से आक्षेपित आदेश के पैरा 33 और 34 में कुछ टिप्पणियाँ हैं, जो एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 5(1) के विपरीत भी चल सकती हैं, जहां तक डिवीजन बेंच की राय है कि शब्द "जो भी कम हो" "एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 5 से बाहर रखा गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसा मामला नहीं है, एसवीआरएस-2004 योजना के खंड 5 के लिए, जैसा कि ऊपर निकाला गया है, स्पष्ट रूप से खंड 5(1) में प्रदान किया गया है, कि योजना के तहत विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाला कर्मचारी, नीचे उल्लिखित अनुग्रह राशि में से कम का हकदार होगा। हम यह स्पष्ट करना पर्याप्त समझते हैं कि पार्टियों के बीच जो बाध्यकारी है वह वैधानिक योजना ही है, इसकी शर्तों के अनुसार।

20. इस प्रकार, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वैधानिक या संविदात्मक, एसवीआरएस-2004 योजना जैसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

योजनाओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, और ऐसी योजनाओं को लागू करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, यदि कुछ हिस्सों में ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं में अन्य योजनाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। नियोक्ता द्वारा जो पेशकश की जाती है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजनाओं में निहित एक पैकेज है, और केवल वही स्वीकार्य होगा।

21. जो मुद्दा मनोजभाई एन. शाह एवं अन्य के मामले में उठा, वह पूर्वव्यापी प्रभाव से वेतन में संशोधन के लिए उपयुक्त था। बस यही एक मुद्दा था. उस मुद्दे का फैसला एसवीआरएस-2004 योजना के लाभार्थियों के खिलाफ किया गया था। यदि उस पीठ द्वारा निर्णय लेते समय कुछ ऐसे पहलू हैं जो उस विवाद का विषय नहीं बन रहे हैं, तो इसे योजना की शर्तों के विपरीत, राहत/लाभ देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, और वह वह भी, किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में।

22. एसवीआरएस-2004 योजना का उद्देश्य उप-खंड (xiv) में सामान्य शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए खंड 8 द्वारा और भी अधिक स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया था, जो इस प्रकार है:

> "8. सामान्य परिस्थितियां:
>
> XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
> (xiv) जैसा कि पैरा 5(2) में दिया गया है, को छोड़कर इस योजना के तहत देय लाभ किसी भी प्रकृति के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा, चाहे वह विनियमन के तहत उत्पन्न हो या अन्यथा कर्मचारी (या नामांकित व्यक्ति के मामले में) के लिए हो। मौत)। जो कर्मचारी इस योजना के तहत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है, उसे कंपनी की सेवा में अनुकंपा के आधार पर अपने किसी रिश्तेदार को पुन: रोजगार या मुआवजे या रोजगार या किसी अन्य लाभ के लिए कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं करना होगा।

23. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि योजना में जो कहा गया है उससे अधिक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, और इस मामले में, कुछ भी कम नहीं। यदि कर्मचारी खुली आंखों से ऐसी योजना का लाभ उठाते हैं, तो वे विभिन्न योजनाओं के तहत इधर-उधर नहीं देख सकते हैं कि अधिक लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने की चाह में उन्हें और क्या लाभ मिल सकते हैं, जबकि साथ ही एसवीआरएस-2004 योजना के अधिक लाभकारी पहलुओं का आनंद ले रहे हैं।

24. इस प्रकार, हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है, सिवाय विवादित आदेश के पैरा 33 और 34 में की गई टिप्पणियों के संबंध में, और परिणामस्वरूप, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ कर अपील खारिज कर दी जाती है।

अंकित ज्ञान अपीलें खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।